भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 910

(09 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत रोजगार और निधि संबंधी स्थिति

910. श्रीमती फूलो देवी नेतामः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पीपल्स एक्शन फॉर इम्प्लॉयमेंट गारंटी (पीएईजी) , के मूल्यांकन के अनुसार, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग करने वाले 13.25 प्रतिशत परिवार इस साल बेराजगार रह गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने बेरोजगार परिवारों के लिए किसी बेरोजगारी भत्ते का कार्यन्वयन किया है;

(ग) सरकार द्वारा लंबित वेतन भुगतानों के लिए कामगारों को मुआवजा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 2 दिसम्बर, 2021 तक 25 राज्यों के पास ऋणात्मक शेष है और मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए शुरूआत में हुए आवंटन में से वर्तमान वर्ष के लिए कितनी राशि बची है ; और

(ङ) क्या सरकार शेष समयावधि के लिए और निधि आवंटित करने का विचार रखती है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) एवं (ख): वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 (04.02.2022 की स्थिति के अनुसार) में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत रोजगार की मांग करने वाले , रोजगार का प्रस्ताव प्राप्त करने वाले परिवारों तथा प्रस्तावित रोजगार का प्रतिशत निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	रोजगार की मांग करने वाले परिवार (करोड़ में)	रोजगार का प्रस्ताव प्राप्त करने वाले परिवार (करोड़ में)	प्रस्तावित रोजगार का प्रतिशत (%)
2021-22 (04.02.2022 की स्थिति के अनुसार)	7.61	7.56	99.34 %

महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित योजना है। योजना के अनुसार , एक ग्रामीण परिवार मजदूरी रोजगार हेतु अपनी मांग के लिए कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में मजदूरी रोजगार हेतु कुल मांग की तुलना में कुल 99.34% को मजदूरी रोजगार का प्रस्ताव दिया गया है। कार्य का प्रस्ताव न दिए जाने के मामले में , लाभार्थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के प्रावधान के अनुसार राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-।। में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार , मजदूरी की मांग करने वाले , मस्टर रोल के बंद होने के बाद 16वें दिन के बाद विलंब के प्रत्येक दिन भुगतान न की गई मजदूरी का 0.05% की दर से विलंब हेतु मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे।

अधिनियम की अनुसूची-।। पैरा 29 (1) (घ) के अनुसार , राज्य सरकार ऊपर विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर उचित सत्यापन के बाद अग्रिम मुआवजे का भुगतान करेगी और उन अधिकारियों अथवा एजेंसियों से मुआवजे की धनराशि की वसूली करेगी जो भुगतान में देरी के लिए जिम्मेवार हैं।

(घ) और (ड.): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां वित्तीय वर्ष के दौरान "स्वीकृत" श्रम बजट (एलबी) तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर रिलीज की जाती हैं। योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय आवंटन नहीं किया जाता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 (03.02.2022 की स्थिति के अनुसार) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन हेतु 81,406.73 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान (ब.अ.) चरण में बजट प्रावधान 73,000 करोड़ रुपए था। मंत्रालय ने अतिरिक्त बजट आवंटन हेतु अनुरोध किया है जिसे निधियों की आवश्यकता के अनुसार संशोधित अनुमान (सं.अ.) चरण में बढ़ाकर 98,000 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की रिलीज एक सतत प्रक्रिया है और केंद्रीय सरकार जमीनी स्तर पर कार्य की मांग को ध्यान में रखते हुए निधियां उपलब्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है।